रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26102020-222748
CG-DL-E-26102020-222748

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 312] नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 26, 2020/कार्तिक 4, 1942
No. 312] NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 26, 2020/KARTIKA 4, 1942

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 26 अक्तूबर, 2020

सं. 27/(2015–2020)

विषयः राजकोषीय वर्ष 2020–21 के दौरान तूर के आयात हेतु समयावधि का विस्तार।

फा. सं. एम–5012/300/2002/पीसी–2 [क]/भाग–IV/ई–6708.—विदेश व्यापार नीति, 2015–2020 के पैरा 2.04 के साथ पठित विदेश व्यापार नीति 2015–2020 के पैरा 1.03 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार ने वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना का.आ. 1225(अ) दिनांक 28.03.2020 के परिणामस्वरूप, आईटीसी (एचएस), 2017, अनुसूची–1 (आयात नीति) के अध्याय–7 के एचएस कोड 0713 60 00 के अंतर्गत अन्य बातों के साथ–साथ 4 लाख मीट्रिक टन पिजन पीज़ के आयात कोटे हेतु ट्रेड नोटिस सं. 06/2020–21 दिनांक 21.04.2020 के साथ पठित ट्रेड नोटिस सं. 05/2020–21 दिनांक 21.04.2020 द्वारा प्रक्रिया को राजकोषीय वर्ष 2020–21 के लिए निर्धारित किया।

2. तूर का 4 लाख मी. टन का कोटा केवल पात्र और सत्यापित आवदकों के बीच समान रूप से अथवा आवेदित मात्रा के लिए जो भी कम हो, आबंटित किया गया और तूर के आयात हेतु जारी किए गए लाईसेंस की वैधता दिनांक 15.11.2020 तक थी।

3. अब तूर के आयात हेतु लाइसेंस की वैधता को 15.11.2020 से 31.12.2020 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है और तूर के आयात हेतु आईसीएलसी के लिए कट–ऑफ तारीख तदनुसार 31.12.2020 होगी।

4. पात्र और सत्यापित आवेदकों जिन्हें लाइसेंस जारी किए गए हैं को यह सुनिश्चित करना होगा कि तूर के आयात की खेप भारतीय पत्तनों पर 31.12.2020 को अथवा इससे पहले पहुंचे। समयावधि बढ़ाने के लिए किसी भी अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

अमित यादव, महानिदेशक, विदेश व्यापार
एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 26th October, 2020

No. 27/(2015–2020)

Subject : Extension of time period for import of tur during the fiscal year 2020-21.

F. No. M-5012/300/2002/PC-2[A]/Part-IV)/E-6708.—In exercise of powers conferred under Paragraph 1.03 of the Foreign Trade Policy, 2015 – 2020 read with Paragraph 2.04 of the Foreign Trade Policy, 2015 – 2020, the Director General of Foreign Trade, consequent to Notification S.O. 1225(E) dated 28.03.2020 issued by Ministry of Commerce & Industry, laid down the modalities, *vide* Trade Notice No.05/2020-21 dated 21.04.2020 read with Trade Notice No. 06/2020-21 dated 21.04.2020, for import of quota, inter – alia, of 4 lakh MT of Pigeon Peas under HS Code 0713 60 00 of Chapter 7 of ITC (HS), 2017, Schedule – I (Import Policy), for the fiscal year 2020-21.

2. The quota of 4 lakh MT of Tur was allocated equally, or for the quantity applied, whichever is lower, only amongst the eligible and verified applicants and validity of the license issued for import of tur was uptill 15.11.2020.

3. It has now been decided to extend the validity of license for import of tur from 15.11.2020 till 31.12.2020 and the cut–off date for ICLC for import of tur shall accordingly be 31.12.2020.

4. Eligible and verified applicants who have been issued licenses will have to ensure that their import consignments of tur reaches the Indian ports on or before 31.12.2020. Any request for extension of time will not be entertained.

AMIT YADAV, Director General of Foreign Trade
& Ex–Officio Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. KUMER CHAND MEENA